राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

संख्या-4084/रा0नि0आ0-2/946/2008
देहरादूनः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2008

राज्य की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों का सामान्य निर्वाचन-2008

अधिसूचना

सचिव, पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 914/XII/08/86(27)/2007 दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 के क्रम में मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद-243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की ग्राम पंचायतों के **उप प्रधान, ग्राम पंचायत** के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे।:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	**नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय**	**नाम वापसी हेतु दिनांक व समय**	**निर्वाचन चिह्न आवंटन का दिनांक व समय**	**मतदान का दिनांक व समय**	**मतगणना का दिनांक व समय**
1	2	3	4	5	6
27.12.2008 (पूर्वाह्न 1000 बजे से पूर्वाह्न 1100 बजे तक)	27.12.2008 (पूर्वाह्न 1100 बजे से दोपहर 1200 बजे तक)	27.12.2008 (दोपहर 1200 बजे से अपराह्न 1230 बजे तक)	27.12.2008 (अपराह्न 1230 बजे से अपराह्न 1300 तक)	27.12.2008 (अपराह्न 1330 बजे से अपराह्न 1530 बजे तक)	27.12.2008 (अपराह्न 1600 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिह्न (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथाप्रवृत) के नियम 117(1) में दी

क्रमशः.....2

गईव्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (हरिद्वार को छोड़कर) अपने जिले की ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पदों पर निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक** 19.12.2008 को जारी करेंगे जिसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, को तत्काल प्रेषित करेंगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।
सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिक्ट्रेट के कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।

ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-4084(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/946/2008 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. निजी सचिव, मंत्री पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)

क्रमश:......3

13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
14. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराएँ।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित करें।
20. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
21. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराएँ।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।